न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, केशकाल, जिला—कोण्डागॉव (छ0ग0)
(समक्ष—पवन कुमार अग्रवाल)

New Civil suit no. 1(A)/16
Old Civil Suit N0. 16 (A)/11
CNR-CGKG-30000392018

---

1. कुंवरबती पिता स्व0 भखऊ, आयु—65 वर्ष,
निवासी—जामगॉव, तहसील केशकाल (छ0ग0)
द्वारा —वधिक प्रतिनिधि लच्छनीबाई पति अजबसिंह, आयु—55 वर्ष,
निवासी—भूमका, बोईरपारा, तह0 नगरी, जिला—धमतरी(छ0ग0)
..वादिनी.

विरूद्ध

1. श्रीमती लच्छंतीन बाई पत्नी स्व0 चमरू गोंड,
द्वारा विधिक प्रतिनिधि, 1(अ). निर्मला पिता स्व. चमरूराम, आयु—25 वर्ष,
1(ब). उर्मिला पिता स्व. चमरूराम, आयु—23 वर्ष,
1(स). पूनम पिता स्व. चमरूराम, आयु— 18 वर्ष,
सभी निवासी— जामगॉव, तह0 केशकाल, जिला—बस्तर, वर्तमान में कोण्डागॉव
2. उमेश कुमार पिता स्व0 चमरूराम गोंड,
निवासी— जामगॉव, तह0 केशकाल, जिला—बस्तर, वर्तमान में कोण्डागॉव
3. श्रीमती अनिता बाई पिता जंगलू गोंड,
निवासी—जामगॉव, तहसील केशकाल, जिला—बस्तर, वर्तमान में कोण्डागॉव
4. छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा जिलाध्यक्ष
5. राजेश पिता स्व0 माहंगूराम, आयु— 35 वर्ष,
निवासी— कोदोभाट, तह0 केशकाल, जिला—कोण्डागॉव
6. रामघर पिता स्व0 माहंगूराम, आयु— 50 वर्ष,
निवासी— कोदोभाट, तह0 केशकाल, जिला—कोण्डागॉव
7. रमतीला पिता स्व0 माहंगूराम, आयु— 35 वर्ष,
निवासी— कोदोभाट, तह0 केशकाल, जिला—कोण्डागॉव
नवीन पता—बोरबांधा, पोस्ट घुरावण्ड, तह. नगरी, जिला—कोण्डागॉव
.. प्रतिवादीगण.

वादिनी मृत (द्वारा विधिक प्रतिनिधि लच्छनीबाई) श्री जशवंत गौतम अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 01 के विधिक प्रतिनिधि एवं 02 द्वारा श्री महेश बघेल अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 03 से 07 एकपक्षीय घोषित।

— निर्णय —

(आज दिनांक— 25 जून, 2018 को घोषित)

(01) ***वादिनी का वाद स्वत्व की घोषणा, कब्जे की पुष्टि एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु है।***

(02) ***प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि —***

1. *उभय पक्षो की वंशावली एक समान है तथा,*
2. *अनिता पिता जंगलु (प्रति0 क्रं. 03) एवं उमेश कुमार पिता स्व0 चमरूराम गोंड (प्रति0 क्रं. 02) के नाम पर वादभूमि का आधा—आधा हिस्सा राजस्व अभिलेखो में दर्ज है तथा,*
3. *पूर्व में वादभूमि के संबंध में एक व्यवहार वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 एवं माननीय अपर जिला न्यायालय से निर्णित क्रमशः (Ex P/03) एवं (Ex P/04) हुआ था जिसमें लच्छंतीन बाई पति स्व. चमरू (प्रति0 क्रं. 01) एवं उमेश कुमार पिता स्व. चमरू (प्रति0 क्रं. 02) के द्वारा अनिता (प्रति0 क्रं. 03) के विरूद्ध प्रस्तुत वाद को निरस्त किया गया था तथा,*
4. *प्रति0 क्रं. 03 अनिता एवं प्रति0 क्रं. 04 शासन को एक पक्षीय घोषित किया गया है।*

(03) *वादिनी के अभिवचनो के अनुसार ग्राम जामगॉव, प.ह.न. 6, तहसील केशकाल के वर्ष 1960—61 के बी—1 के अनुसार ख.नं. 18/3 रकबा—3.67*

*एकड़, ख.नं. 37/02 रकबा–3.03 एकड़, ख.नं. 125 रकबा–0.20 एकड़ एवं ख. नं. 131/4 रकबा–1.10 एकड़ कुल रकबा 8.00 एकड़ भूमि उसके पिता भखउ के नाम पर राजस्व अभिलेखों में अंकित रही जो कि वर्तमान में **वादभूमि** है तथा,*

(04) *राजस्व अभिलेखो में निम्नानुसार परिवार के लोगो का नाम दर्ज होता रहा–*

- *भखउ की मृत्यु वर्ष 1961–62 में हो गई थी उसके बाद उक्त वादभूमि उसकी (1) पत्नी पूनईबाई, (2) पुत्र जेठू एवं (3) जंगलूराम के नाम पर अंकित हो गई तथा,*
- *पुनईबाई और जेठू के मरने के बाद जेठू के पुत्र चमरू का नाम जंगलू के साथ संयुक्त रूप से अंकित किया गया तथा,*
- *जंगलू की मृत्यु के बाद उसकी नाबालिग पुत्री अनिता (प्रति. क्र. 03) का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया तथा,*
- *चमरू की मृत्यु के बाद उसकी (1) पत्नी बुधियारिन, (2) पुत्री लच्छंतीन एवं (3) पुत्र उमेश का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ था।*

(05) *वर्ष 1993–94 में अनिता (प्रति. क्र. 03) द्वारा उक्त वादभूमि के बंटवारा का आवेदन तहसीलदार केशकाल के यहॉ प्रस्तुत किया जो कि निरस्त हो गया जिसकी अपील अनु. अधिकारी के यहॉ की गई जिसमें प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया।*

(06) *वादिनी ने अभिवचनों में यह भी व्यक्त किया है कि उभय पक्ष गोंड आदिवासी जनजाति के है जिसके रीतिरिवाजो के अनुसार पुत्री को विवाहित एवं अविवाहित दोनों स्थिति में पैतृक सम्पत्ति में हक मिलता है।*

(07) *लच्छंतीन (प्रति. क्रं. 01) व उमेश (प्रति. क्रं. 02) ने अनिता (प्रति. क्रं. 03) के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 कांकेर में इस आधार पर वाद प्रस्तुत किया था कि आदिवासी जनजाति गोंड रीति रिवाज के अनुसार पुत्री को उसके पिता की पैतृक सम्पत्ति में विवाह हो जाने के बाद कोई हक नहीं मिलता है। उक्त वाद को निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील माननीय अपर जिला न्यायाधीश कांकेर के यहॉ प्रस्तुत की गई किंतु उक्त अपील को भी निरस्त कर दिया गया।*

उपरोक्त न्यायालय की आज्ञप्ति एवं निर्णय वादिनी पर बंधनकारी नहीं है क्योंकि वह एक आवश्यक पक्षकार थी किंतु उसे पक्षकार बनाये बिना उक्त प्रकरण का निराकरण किया गया था।

(08) *वादिनी ने यह भी अभिवचन किया है कि वह भखउ की पुत्री है तथा अनिता (प्रति. क्रं. 03) को भखउ की सम्पत्ति पर हक मिला है अस्तु उसे भी वादभूमि के 1/3 अंश प्राप्त करने का अधिकार है तथा वह उसके पिता भखउ की मृत्यु के बाद से वादभूमि के 1/3 भाग पर अनवरत् कास्त काबिज है इस कारण उसके उक्त कब्जे की पुष्टि की जाए तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी के कब्जे में किसी प्रकार का दखल न हो इसके लिए उनके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावें।*

(09) *प्रतिवादी क्रं. 01 व 02 ने जवाब में वादिनी के उपरोक्त अभिवचनों को स्वीकार करते हुए यह अभिकथित किया कि वादिनी को वादभूमि के 1/3 अंश प्राप्त करने का हक है।*

(10) *प्रति0 क्रं. 03 अनिता ने जवाब में वादिनी के उपरोक्त अभिवचनों का खण्डन करते हुए यह अभिकथित किया कि उभय पक्ष हिन्दु विधि से शासित होते है तथा गोंड जाति में मृत्यु उपरांत मृतक की पत्नी और पुत्र न होने की*

दशा में पुत्री को हक मिलता है जिसके आधार पर प्रति0 क्रं. 03 उसके पिता जंगलू के हिस्से पर काबिज है। इसी प्रकार वादिनी को पूर्व में चले व्यवहार वाद (Ex P/03) एवं (Ex P/04) की जानकारी पूर्व से रही है जिसके कारण उक्त वाद में पारित आज्ञप्ति एवं निर्णय वादिनी पर बंधनकारी है।

(11) *यह अभिवचनित किया कि वादिनी ने उसके पिता भखउ की मृत्यु वर्ष 1960—61 में हो जाने के उपरांत कभी भी वादभूमि पर हक नहीं जताया तथा न ही राजस्व अभिलेखो में वादिनी के नाम से वादभूमि है तथा न ही वह वादभूमि के कब्जे में है तथा पूर्व में निर्णित व्यवहार वाद वादिनी पर बंधनकारी होने से वादिनी के वाद को निरस्त किये जाने की मॉग की है।*

(12) *इस न्यायालय के पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये है, जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्षो को अंकित किया गयाहैंः—*

वाद प्रश्न	***निष्कर्ष***
1— क्या वादिनी वादग्रस्त सम्पत्ति में 1/3 अंश की स्वत्वाधारी है ?	*कण्डिका '' 23 '' के अनुसार।*
2— क्या वादिनी अपने पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त सम्पत्ति के 1/3 अंश के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है ?	*कण्डिका '' 23 '' के अनुसार।*
3— क्या वादिनी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 कांकेर 48अ/95 तथा अपर जिला सत्र न्यायाधीश कांकेर अपील क्रं. 8अ/2002 में आवश्यक पक्षकार थी यदि हॉ तो प्रभाव ?	*कण्डिका '' 28 '' के अनुसार।*

4— क्या वादिनी का वाद अवधि बाह्य होने के कारण अप्रचलनीय है ?	*'' प्रमाणित ''*
5— सहायता एवं वाद व्यय ?	*कण्डिका ''29'' के अनुसार*

<u>वाद प्रश्न कमांक (4) पर सकारण निष्कर्ष</u> :—

(13) *प्रति0 क्रं. 03 ने जवाबदावा की कण्डिका 12 व कण्डिका 16 में व्यक्त किया है कि वादिनी ने वाद समयसीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि उसने उसके माता एवं पिता की मृत्यु को 40—45 वर्ष पूर्व हो चुकी है ऐसे में वर्तमान वाद प्रस्तुत करना समयसीमा से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर वादिनी के अनुसार उसका वादकारण दिनॉक 07.12.2005 को तब उत्पन्न हुआ जब अपील न्यायालय द्वारा पूर्व वाद (Ex p/04) का निराकरण किये जाने के बाद प्रति0 क्रं. 03 अनिता द्वारा गॉव में प्रचार किया जाने लगा कि वह गोंड प्रथा के अनुसार विवाहित होने के बावजूद वादभूमि के आधे हिस्से पर हक एवं स्वत्व अर्जित कर ली है।*

(14) *परिसीमा संबंधी वादप्रश्न के निराकरण हेतु यह जानना आवश्यक होगा कि वादकारण कब उत्पन्न हुआ ? इस संबंध में अभिवचनो के अनुसार यह स्पष्ट है कि वादिनी ने यह वाद उसके पिता एवं माता की मृत्यु 1961 में हो जाने के 46 वर्षो के बाद पेश किया है जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि वादिनी के पिता की मृत्यु के बाद वादभूमि प्रति0 क्रं. 01 व 02 एवं प्रति0 क्रं. 03 के पूर्वज जेठू एवं जंगलू के नाम पर आधा—आधा हिस्सा राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया गया था तथा कालांतर में जंगलू की मृत्यु के बाद उसकी एकमात्र पुत्री अनिता प्रति0 क्रं. 03 के नाम पर वादभूमि का आधा हिस्सा राजस्व अभिलेखो में दर्ज हुआ था अर्थात वादिनी के पास वादकारण*

तब उत्पन्न हुआ जब उसके माता–पिता की मृत्यु के बाद वादभूमि को राजस्व अभिलेखो में संयुक्त रूप से उसके नाम दर्ज नहीं कराया गया था।

(15) *इसी प्रकार वादपत्र की कण्डिका 2, 3 व 4 में स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया गया है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद वादभूमि वादिनी के मॉ एवं भाईयो के नाम पर राजस्व अभिलेखो में अंकित की गई थी तथा वादपत्र की कण्डिका 05 में यह भी अभिव्यक्त किया है कि प्रति0 क्रं. 03 अनिता ने वादभूमि के बॅटवारे हेतु राजस्व न्यायालय तहसीलदार केशकाल के यहॉ वर्ष 1993–94 में वाद प्रस्तुत किया था अर्थात इस तथ्य की जानकारी वादिनी को प्रारंभ से ही थी ऐसी दशा में वादिनी के वाद लाने का कारण (Cause of action) पूर्व से ही प्रारंभ होकर वाद लाने की परिसीमा प्रारंभ हो चुकी थी।*

(16) *वादिनी ने वाद कारण उत्पन्न होना दिनॉक 07.12.2005 को दर्शित किया है जब प्रति0 क्रं. 03 द्वारा पूर्व व्यवहार वाद का निराकरण हो जाने पर ग्राम प्रमुखों के समक्ष प्रचार किया कि उसे वादभूमि के आधे हिस्से पर हक प्राप्त हो गया है किंतु उक्त वाद में प्रति0 क्रं. 03 प्रतिवादी की हैसियत से थी न कि वादी की तथा वादीगण का वाद निरस्त हो जाने के कारण उसकी विधिक स्थिती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे में मात्र मौखिक रूप से कथन करना कि वाद कारण दिनॉक 07.12.2005 से उत्पन्न हुआ, महत्वहीन है।*

(17) *वादिनी के अभिवचनो के अनुसार उसका वाद कब्जे पर आधारित होकर वादभूमि में हक प्राप्त करने हेतु है जिसके संबंध में परिसीमा अधि0 का अनुच्छेद 65 के अनुसार वाद लाने की परिसीमा 12 वर्ष नियत है किंतु वादिनी ने यह वाद लगभग 46 वर्षो के पश्चात् पेश किया है जिसका कोई भी*

स्पष्टीकरण वादिनी की ओर से नहीं दिया गया है। परिसीमा अधि0 की धारा 9 यह प्रॉवधान करती है कि जब एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहॉ वाद संस्थित करने या आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्याग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रूकता है वैसे भी परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत वाद को विहित काल के बाद ग्रहण करने का प्रॉवधान नहीं है।

(18) *उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि वादिनी का वादकारण उसके पिता की मृत्यु के बाद जब वादभूमि को उसकी मॉ एवं भाईयो के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज किया गया था, तब से उत्पन्न होता है न कि प्रति0 क्रं. 03 अनिता द्वारा गॉव में प्रचार करने की तारीख 07.12.05 से।*

(19) अतः परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत यह वाद परिसीमा से बाह्य होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हुए वाद प्रश्न कं. 04 के संबंध में निष्कर्ष ''प्रमाणित'' के रूप में दिया जाता हैं

वाद प्रश्न कमांक (1) व (2) पर सकारण एक साथ निष्कर्ष :–

(20) *वादिनी का यह वाद मुख्य रूप से गोंड रीति–रिवाज के आधार पर उसे विवाहित पुत्री होने पर भी, वादभूमि में 1/3 भाग की मॉग के संबंध में है। इस वाद में वादिनी को उक्त रीति–रिवाज को सिद्ध करना है। किसी भी प्रथा को सिद्ध करने के लिये निम्न तथ्यो का सिद्ध होना आवश्यक होता है–*

1. ***प्रथा लगातार प्रचलित हो,***
2. ***प्रथा निश्चित हो,***
3. ***प्रथा यायिक होकर लोक निति के विरूद्ध न हो, तथा***
4. ***प्रथा सर्व मान्य हो।***

वादिनी के द्वारा उक्त प्रथा के समर्थन में वादिनी की LR`s लछनीबाई स्वयं (P. W./01) एवं (P.W./02) का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें से किसी के भी साक्ष्य में ऐसे तथ्य नहीं आ सके है कि उनके गौंड जाति में विवाहित पुत्री को भाईयों के रहते पिता की सम्पत्ति में बराबर का हक मिलता है क्योंकि मात्र यह कहना कि उक्त आधारो पर हक मिलता है प्रर्याप्त नहीं होगा बल्कि प्रचलित प्रथा के संबंध में पूर्व के उदाहरणो के माध्यम से यह भी सिद्ध करना होता है कि ऐसी निश्चित प्रथा आदिकाल से लगातार बिना किसी विवाद के सर्वमान्य रूप से उनकी गोंड जाति में एकरूपता से चली आ रही है जो कि लोक निति के विरूद्ध नहीं है। ***दोनों पक्षकार उनकी गोंड जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की कोई निश्चित विधि या प्रथा साबित करने में विफल रहे है जिससे उनके मध्य प्रचलित प्रथा के संबंध में किसी प्रकार का अभिमत नहीं दिया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रांत विधि अधिनियम 1875 की धारा 5 एवं 6 के निबंधनो को ध्यान में रखते हुए न्याय, साम्या और शुद्ध अंतः करण के अनुसार अधिकारों का विनिश्चय करना होगा।***

(21) *मध्य प्रांत विधि अधिनियम 1875 की धारा 6 कोई प्रथा अभिव्यक्त रूप से लागू न होने की दशा में प्रभावशील होती है जिसके अनुसार न्यायालय न्याय, साम्या और शुद्ध अंतः करण के अनुसार अधिकारों का विनिश्चय करेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर यह साम्यापूर्ण एवं न्यायसंगत होगा कि पुत्री को उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा दिलाया जावें जब प्रति0 क्रं. 03 अनिता उसके पिता की एकमात्र पुत्री होने के आधार पर हिस्सा प्राप्त कर सकती है तो वादिनी क्यों नहीं ? केवल इस आधार पर वादिनी को हिस्सा देने से इंकार करना कि उसके भाईयों को सम्पूर्ण*

वादभूमि मिलेगी स्वंय में उचित नहीं होगा बल्कि लिंग के आधार पर विभेदकारी होकर संविधान के उपबंधो के विपरित होगा।

इस संबंध में वादिनी की ओर से ***न्याय दृष्टिांत 2013(2) M.P.H.T.33(CG) Mst. Sarwango and another Vs. Mst. Urchamahin and another*** *पेश किया है जिसके अनुसार दोनो पक्षकार उनकी गोंड जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की कोई विधि या प्रथा साबित करने में विफल रहे है जिससे उनके मध्य प्रचलित प्रथा के संबंध में किसी प्रकार का अभिमत नहीं दिया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रांत विधि अधिनियम 1875 की धारा 5 एवं 6 के निबंधनो को ध्यान में रखते हुए न्याय, साम्या और शुद्ध अंतः करण के अनुसार अधिकारों का विनिश्चय करना होगा। इस प्रकरण के तथ्य उक्त न्याय दृष्टिांत के तथ्यो के समान होने से लागू किये जाते है।*

(22) इसके अतिरिक्त वादिनी का वादभूमि पर वास्तिविक कब्जा जानना भी आवश्यक होगा क्योंकि उसने *वादपत्र की कण्डिका 14 में व्यक्त किया है कि वह वादभूमि के 1/3 भाग पर वह काबिज होकर उस पर प्रतिवर्ष धान फसल की बोआई करती है तथा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्तमान में लछंतीन व उमेश (प्रति0 क्रं. 01 व 02) एवं अनिता (प्रति0 क्रं. 03) के नाम पर वादभूमि का आधा–आधा हिस्सा राजस्व अभिलेखो में दर्ज है जिसकी तस्दीक राजस्व अभिलेख बी–1 (Ex D/01) व (Ex D/03) खसरा (ExD/02) व (Ex D/04) से होती है। ऐसी स्थिती में वादिनी का केवल मौखिक रूप से कथन करना कि वह वादभूमि के 1/3 भाग पर काबिज है राजस्व अभिलेखो से विपरित कथन होगा क्योंकि छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 117 राजस्व अभिलेखो की प्रविष्टिंयो के सही होने की उपधारणा करती है जब तक*

कि उन्हे तत्प्रतिकुल साबित नहीं किया जाए। ऐसे में वादिनी का वाद मौखिक आधारो पर निर्भर हो जाता है तथा उसकी ओर से पेश साक्षी लक्षनी बाई (P. W./01) एवं मंगनी बाई (P.W./02) ने मौखिक रूप से कब्जा होने का कथन किया है किंतु विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि ''दस्तावेजी साक्ष्य होने से मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन हो जाता है'' जिसका प्रॉवधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 में है। वादिनी ने कब्जा होने के संबंध में कोई भी राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है जिसके आधार उसका वादभूमि के 1/3 भाग पर कब्जा होना दर्शित हो। कब्जा होने के संबंध में खसरा पंचशाला की प्रति प्रस्तुत की जा सकता थी क्योंकि उसकी कैफियत में उल्लेखित होता है कि वर्तमान में वादभूमि पर किसका कब्जा है किंतु वादिनी ने केवल मौखिक आधार पर कब्जा होने का कथन किया है जबकि राजस्व अभिलेखो उसके कथन के विपरित है।

(23) ***अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यह निष्कर्षित किया जाता है कि वादिनी उसके पिता की संपत्ति में 1/3 अंश प्राप्त करने का हकदार है किंतु वादिनी का वाद वादप्रश्न 04 के निराकरण के अनुसार परिसीमा से बाहर होने के कारण उक्त हक को लागू नहीं कराया जा सकता है तथा न ही वादिनी के पक्ष में कोई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जा सकता है।***

<u>वाद प्रश्न कमांक (3) पर सकारण निष्कर्ष :-</u>

(24) *वादिनी ने अभिवचन किया है कि प्रति0 कं. 01 व 02 ने प्रति0 कं. 03 के विरूद्ध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कांकेर के यहॉ इस आधार पर वाद प्रस्तुत किया था कि आदिवासी जनजाति गोंड रीति रिवाज के अनुसार*

पुत्री को उसके पिता की पैतृक सम्पत्ति में विवाह हो जाने के पश्चात् कोई स्वत्व व अधिकार नहीं मिलता है, जिसे निरस्त कर दिया गया। उक्त वाद की अपील माननीय अपर जिला न्यायालय कांकेर के यहॉ प्रस्तुत की गई, जिसे भी निरस्त कर दिया गया। वादिनी का कथन है कि उक्त निर्णय (Ex p/03) व (Ex p/04) पर बंधनकारी नहीं है क्योंकि वह एक आवश्यक पक्षकार थी किंतु उसे पक्षकार बनाये बिना प्रकरण का निराकरण किया गया था।

(25) *उभय पक्षो के मध्य प्रथाओ को लेकर विवाद है जो कि लोक प्रकृति की है इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 प्रॉवधानित करती है कि पूर्व निर्णय में समान पक्षकार न हो तो भी वह लागू होता है क्योंकि पक्षकार समान होंगे तो रेसज्यूडीकेटा लागू होकर धारा 40 के प्रॉवधान लागू हो जायेंगे तथा धारा 42 में पूर्व निर्णय एक साक्ष्य मात्र है इससे पक्षकारो को उसके तथ्यो को सिद्ध करने का अधिकार नहीं छिनता है। पक्षकार समान नहीं होने से भी पूर्व निर्णय को निश्चित उद्देश्यों के लिए प्रकरण के निराकरण हेतु विचार में लिया जा सकता है।*

(26) *इस वाद में वादिनी के पास उसका वादभूमि पर हक एवं कब्जा सिद्ध करने का अवसर है इस तथ्य को भी सिद्ध करने का अवसर है कि वह विवाहित होने उपरांत भी उनकी गौंड जनजाति की प्रथाओं के आधार पर पिता की सम्पत्ति में समान हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है जो कि पूर्ववाद के प्रभाव से समाप्त नहीं होता है।*

(27) *आवश्यक पक्षकार होने के संबंध में वादिनी के यह भी कथन किया है कि प्रति0 03 अनिता ने पूर्व वाद में उसे पक्षकार बनाये बिना वादभूमि पर हक एवं स्वत्व प्राप्त कर लिया है किंतु यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रति0 क्रं. 03 अनिता का नाम राजस्व अभिलेखों में उसके पिता जंगलू की*

मृत्यु होने के बाद नाबालिग अवस्था में ही दर्ज करा दिया गया था तथा पूर्व वाद को प्रकरण में वर्तमान प्रति0 क्रं. 01 व 02 द्वारा वादी के रूप में लाया गया था न कि प्रति0 क्रं. 03 द्वारा तथा उक्त पूर्व वाद के निर्णय (Ex p/03) व (Ex p/04) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के वाद को खारिज करते हुए प्रति0 क्रं. 03 अनिता को किसी प्रकार का हक या स्वत्व प्रदान नहीं किया गया था जिससे वर्तमान प्रकरण की वादिनी के हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

(28) ***उपरोक्त विवेचना के अनुसार पूर्व वाद में वादिनी आवश्यक पक्षकार थी किंतु उसे पक्षकार नहीं बनाये जाने से उसके वादभूमि संबंधी अधिकारो को लागू कराये जाने के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है।***

वाद प्रश्न क्रं 05–सहायता एवं वाद व्यय पर निष्कर्ष –

(29) *वादिनी का वाद परिसीमा अधिनियम से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। अतः निम्नानुसार डिक्री पारित की जाती है :–*

---

(1) वादिनी का वाद परिसीमा से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

(2) उभय पक्ष 'वादव्यय' स्वयं वहन करेगें।

(3) अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियम 523 की अनुसूची के अनुसार अथवा नियम 535 के प्रमाण पत्र के अनुसार, जो भी न्यून हो, वाद व्यय में जोड़ा जावें।

तदानुसार डिक्री बनाई जावें।

निर्णय घोषित्। *निर्देशानुसार टंकित।*

(पवन कुमार अग्रवाल), *(पवन कुमार अग्रवाल),*
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, *व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2,*
केशकाल–(छ0ग0) *केशकाल–(छ0ग0)*

➢ ***केशकाल, 25 जून, 2018***

==